

अनुदान संख्या 7 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 7 – DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted –			
मूल	Original 53619,46,00	74599,46,00	74593,33,85	-6,12,15
पूरक	Supplementary 20980,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,05,93
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-	217,54,00	217,49,00	-5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O. 2000.00	1699.82	1696.30	-3.52
पु.	R. -300.18			
मुख्य शीर्ष “2401”	Major Head “2401”			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O. 4028187.00	5428441.00	5428440.72	-0.28
पू.	S. 1508000.00			
पु.	R. -107746.00			
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”			
उद्योग	Industries			
मू.	O. 1331757.00	2029199.25	2029196.83	-2.42
पू.	S. 590000.00			
पु.	R. 107442.25			

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” - “खाद और उर्वरक - आयातित विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय के लिए भुगतान” - ₹1536387.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹650107.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2186494.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, नवम्बर, 2011 तक कम आयातों के कारण ₹570000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कंपनियों को विशेष बांडों का निर्गमन - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अंतर्गत उर्वरक बांडों की बिक्री के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति” - ₹20000.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो तथापि, बांड-वार/कंपनी-वार लेखा समाधान किए गए बिलों पर आधारित बांडों के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹12255.60 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - उर्वरक विभाग” के अंतर्गत ₹303.70 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोग्रेशन स्कीम के कुछ बकायों, छुट्टी यात्रा रियायत दावों को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रकाशन तथा विज्ञापन के लिए कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” - “उर्वरक उद्योग - अन्य व्यय - प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान” के अंतर्गत ₹203.71 लाख की बचत (₹551.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ उपस्करों की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹65.17 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थी।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Supplementary grant obtained in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2401” – “Manures and Fertilizers – Payment for concessional sale of imported decontrolled fertilizers”- the original provision of ₹1536387.00 lakhs was augmented to ₹2186494.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹650107.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹570000.00 lakhs - due to lesser imports till November, 2011.

(B) Major Head “2852” – “Fertilizer Industries- Issue of Special Bonds to fertilizers companies as compensation towards fertilizer subsidy- Compensation for loss on account of sale of fertiliser bonds under Fertilisers retention price scheme” - funds of ₹20000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹12255.60 lakhs - due to requirement of less funds towards compensation for loss on account of bonds based on bond wise/company wise reconciled bills.

(III) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Fertilisers” - saving of ₹303.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-finalisation of some modified assured career progression scheme arrears, leave travel concession claims and receipt of less claims for publication and advertisement.

(IV) Under Major Head “2852” - “Fertiliser Industries - Other Expenditure - Grant in the field of Management Information Technology” - saving of ₹203.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹551.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of some equipment.

(V) Under one head saving of ₹65.17 lakhs occurred constituting 33 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹570000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” - “उर्वरकों का आयात - यूरिया का आयात” - ₹450000.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अंतर्गत भुगतान” - ₹120000.00 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2401” - “उर्वरक आर्थिक सहायता के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कंपनियों को विशेष बांडों का निर्गमन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “देशी विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय के लिए उर्वरक बांडों की बिक्री के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति” - ₹548.66 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹28900.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “आयातित विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय के लिए उर्वरक बांडों की बिक्री के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति” - ₹11705.00 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹28993.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कंपनी-वार/बांड-वार लेखा समाधान किए गए बिलों पर आधारित उर्वरक बांडों की बिक्री के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

2.(I) The above savings were partly (₹570000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2401” - “Import of Fertilisers - Import of Urea” - ₹450000.00 lakhs.

(B) Major Head “2852” - “Fertilizer Industries – Fertilizer Subsidy – Payment under Fertilizers Retention Price Scheme”- ₹120000.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2401” – “Issue of Special Bonds to fertilizers companies as compensation towards fertilizer subsidy”- under the following heads:-

(A) “Compensation for loss on account of sale of Fertiliser bonds for concessional sale of indigenous decontrolled fertilisers” - excess of ₹548.66 lakhs (against the supplementary provision of ₹28900.00 lakhs obtained in November, 2011); and

(B) “Compensation for loss on account of sale of fertiliser bonds for concessional sale of Imported decontrolled fertiliser” - excess of ₹11705.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹28993.00 lakhs obtained in November, 2011).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards compensation for loss on account of sale of fertiliser bonds based on company wise/bond wise reconciled bills.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas			
मू.	O.	6779.00
पु.	R.	-6779.00
मुख्य शीर्ष "6855" उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6855" Loans for Fertilizer Industries			
मू.	O.	14974.00	21749.00	..
पु.	R.	6775.00	21749.00	..

(I) ₹6783.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6779.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6783.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹6779.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई - ₹6778.00 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Ltd." - excess of ₹6778.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.